उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/9/25

दिनांक 09.09.2025

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 09/2025

15.05. लाइनों पर गश्त (पेट्रोलिंग) लगाना:–

(1) नियम 15.04 में उल्लेखित निरीक्षण के अतिरिक्त, जब कभी भारी वर्षा, लाइन बह जाने (ब्रीचेज), बाढ़, तूफान और नागरिक (सिविल) उपद्रव जैसी असाधारण परिस्थितियों में रेल के किसी भी भाग को खतरा पहुँचने की संभावना है तो लाइन पर विशेष अनुदेशों के अनुसार गश्त (पेट्रोलिंग) लगाया जायेगा।

(2) यदि लाइन पर गश्त (पेट्रोलिंग) लगाने के लिए प्रतिनियुक्त रेल सेवक को कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है जिससे गाड़ियों की संरक्षा प्रभावित होने की संभावना है या उसे किसी अन्य खतरे की आशंका है तो वह इस बाबत निर्धारित विशेष अनुदेशों के अनुसार लाइन पर अवरोध की रक्षा के लिए कार्यवाही करेगा और इसके बाद वह निकटतम स्टेशन मास्टर को शीघ्रतम साधनों द्वारा सूचित करेगा। सा.नि.3.62 भी देखें।

स.नि.15.05(1) मौसम की चेतावनी और लाइन पर गश्त:–

(अ) मौसम की चेतावनी–भारत सरकार के मौसम विभाग के साथ यह व्यवस्था है कि जब आंधी, तेज हवा या भारी वर्षा की संभावना हो तो वह चेतावनी तार दे दे।

मौसम चेतावनी संबंधित तार या सूचना मिलने पर ड्यूटी का स्टेशन मास्टर तत्काल, यथास्थिति, सहायक इंजीनियर, वरि. सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर (रेल पथ) या मेट को सूचित करेगा और उससे सूचना की पावती लेगा। स्टेशन पर मेट चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर दो विश्वस्त गैंगमैनों को दोनों ओर के स्टेशनों के बीच की गैंगों को सतर्क करने के लिए भेजेगा।

(ब) लाईन पर गश्त लगाना–

(i) लाइन, पुलों आदि पर गश्त लगाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश और गश्ती कर्मचारी (पेट्रोलमैन) तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों की ड्यूटी से सम्बन्धित अनुदेश इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित को जारी किए जाते हैं।

(ii) गश्त चार्ट– प्रचलित अनुदशों के अनुसार लागू होने वाला समय सारणी के प्रकाशित होने पर मण्डल इंजीनियर ऐसे प्रत्येक सैक्शन का, जहाँ गश्त लगायी जाती है, चार्ट बनाएगा। इन गश्त चार्टो की प्रतिलिपि अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के अतिरिक्त लोको पायलटों की सूचना के लिये वरि. सेक्शन इंजीनियर (लोको) को भी दी जायेगी। इन चार्टो के साथ एक विवरण भी रहेगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि सही समय पर चल रहे लोको पायलटों को किस स्थान पर गश्ती कर्मचारियों के मिलने की संभावना है। इससे लोको पायलटों को यह पता चल जायेगा कि गश्ती कर्मचारी कहां मिल सकते हैं क्योंकि गश्ती कर्मचारियों की उपस्थिति में वे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे और उनकी अनुपस्थिति में वे सतर्क हो जायेंगे।

(iii) गश्त पुस्तकें :–

(1) प्रत्येक गश्ती कर्मचारी को पर्याप्त पृष्ठों की गश्त पुस्तकें टीन के केस में दी जानी चाहिए।

(2) इन पुस्तकों में प्रत्येक सेक्शनों के पेट्रोल के नम्बर के अनुरूप क्रमिक नम्बर अंकित होते हैं। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर गश्ती कर्मचारी का नाम, गश्त किए जाने वाले सेक्शन की लम्बाई किलोमीटर में और उसका नम्बर लिखा होगा। शेष पृष्ठों पर तारीख, स्टेशन, आने और जाने का समय और ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर के कॉलम होंगे।

(3) जिस गश्ती कर्मचारी का गश्त क्षेत्र स्टेशन पर समाप्त होता हो तो वह, जो गश्त पुस्तक उसके पास है उसे ड्यूटी के स्टेशन मास्टर को देगा जो उस कर्मचारी के आने और जाने का समय दर्ज करके हस्ताक्षर करेगा।

गश्ती कर्मचारी अपनी गश्त क्षेत्रों की सीमा पर जब एक दूसरे से मिले तो अपनी गश्त पुस्तकों की अदला बदली करके अपने चार्टो के अनुसार वापस चले जायेंगे। इस प्रकार प्रत्येक गश्त पुस्तक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जायेगी और फिर वापिस आ जायेगी।

(4) जब गश्त कर्मचारी अपने गश्त क्षेत्र की सीमा पर पहुंच कर पुस्तक लेने के लिए वहाँ दूसरे कर्मचारी को न पाये तो वह तब तक आगे चलता जायेगा जब तक कि वह उसे मिल न जाये। गश्ती कर्मचारी यदि गैंग क्वाटर के पास से गुजरे तो अपने क्षेत्र से अनुपस्थित कर्मचारी की रिर्पोट उसी दिन मेट से करेगा अन्यथा अगले दिन जल्दी से जल्दी करेगा।

(5) ड्यूटी का स्टेशन मास्टर यह ध्यान रखेगा कि ड्यूटी पर अपने वाले गश्ती कर्मचारी पूर्ण उपकरणों से लैस हैं, उनके पास तेल से भरे ठीक बत्ती वाले लैंप हैं और वे अपने क्षेत्रों के लिए समय पर रवाना होते हैं।

(6) यदि कोई गश्ती कर्मचारी जिसे स्टेशन पर उपस्थित होना है, नियत समय पर वहाँ न पहुंचे या बिलकुल ही न आये तो ड्यूटी का स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :–

(क) ब्लॉक सेक्शन में बिना रुके जाने वाली गाड़ी को रोकेगा।

(ख) सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को ऐसी कार्यवाही करने को कहेगा और नियंत्रक (कन्ट्रोलर) को भी सूचित करेगा।

(ग) ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को फार्म टी–409 पर सतर्कता आदेश जारी करेगा जिसमें लोको पायलट को सतर्क करने के लिए कहा जायेगा और दिन में जब दृश्यता साफ हो, 40 कि.मी.प्र.घं. और रात में या जब दृश्यता साफ न हो, 15 कि.मी.प्र.घं. की गति प्रतिबंध निर्धारित करेगा।

उपर्युक्त मद (ग) में उल्लिखित सतर्कता आदेश तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि गश्त पर जाने वाले सेक्शन के दूसरे सिरे का गश्ती कर्मचारी स्टेशन पर पहुँचकर यह सूचना न दे दे कि सब ठीक है। यदि गश्ती कर्मचारी बिलकुल ही न आये तो संबंधित स्टेशन मास्टर को उसका कारण निश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

(7) जब भी गश्ती कर्मचारी लाइन में कोई खराबी पाए तो वह तत्काल पटाखों और लाल झंडियों से लाइन का बचाव करेगा और सबसे निकट वाले स्टेशन मास्टर को सूचित करने की व्यवस्था करेगा या यदि पार न की जा सकने वाली रूकावट के कारण उसका आगे बढ़ना संभव न हो तो वह इस घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को देते हुए दूसरी तरफ के स्टेशन को इसकी सूचना देगा। वह मेट, सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) को भी सूचना भेजेगा:–

सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर :–

(क) ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने वाली गाडियों को रोकेगा।

(ख) ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को स्थिति की सूचना देगा।

(ग) कंट्रोल तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को सूचना देगा। बाद में जब उसे सूचना मिले कि लाइन पर रूकावट नहीं रही और लाइन गाड़ियों के चलने योग्य है तो वह तत्काल कन्ट्रोल तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को यह सूचना देगा।

(स) कमजोर स्थल– मण्डल इंजीनियर कमजोर स्थलों का सावधानीपूर्वक चुनाव करेगा और ऐसे सभी स्थलों की निगरानी स्थायी पेट्रोल द्वारा की जायेगी। कमजोर स्थलों के, जिनमें कमजोर पुल भी शामिल हैं, दोनों ओर 800 मीटर की दूरी पर साइन बोर्ड लगाये जायेंगे। ये साइन बोर्ड पीले रंग के और 600 मि.मी. समचतुर्भुज आकार के होंगे और इन पर काले रंग से 300 मि.मि. ऊँचा अक्षर 'P' लिखा रहेगा। इस बोर्ड का निचला भाग रेल स्तर से 2150 मि. मी. ऊँचा होगा और जिस खम्भे पर यह लगाया जायेगा उस पर 300 मि. मि. ऊँची सफेद और काली पट्टियाँ पेंट की जायेगी। इस बोर्ड को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए कि यह इंजन की हैड लाइट के प्रकाश की परिधि में आ जाये ताकि रात के समय लोको पायलट उसे आसानी से देख सके। जब गाड़ी के लोको पायलट को ऐसा साइन बोर्ड दिखाई दे तो चाहे दिन हो या रात, उसे विशेष रूप से सतर्क रहना होगा और किसी भी क्षण उस स्थान पर तैनात स्थायी चौकीदार (वॉचमैन) या गश्ती कर्मचारी का संकेत मिलने पर या स्वयं लाइन के लिए खतरा देखने पर अपनी गाड़ी की गति कम करने या उसे रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। कमजोर स्थल के आगे साइन बोर्ड का पिछला भाग लोको पायलट को यह बताएगा कि उसकी गाड़ी कमजोर स्थल को पूरी तरह पार कर चुकी है, और उस साइन बोर्ड पर 300 मि.मी. ऊँचा अक्षर (E) (पीले पर काला) लिखा रहेगा। शेड का वरि. सेक्शन इंजीनियर (लोको), इंजन लोको पायलटों को इन अनुदेशों से अवगत कराएगा जो मण्डल का मण्डल यांत्रिक इंजीनियर सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है। यह अनुदेश इस साइन बोर्डों के लगे रहने तक ही लागू होंगे। मण्डल इंजीनियरों का आदेश है कि वे इन बोर्डों को वर्षा ऋतु से ठीक पहले लगवाएं और वर्षा ऋतु के बाद हटा दें।

(द) इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को स्टेशन का निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन डायरियों की जाँच करनी चाहिए कि उपरोक्त नियम (ब)(ii)(3) के अनुसार स्टेशन मास्टर गश्ती कर्मचारी के आने और जाने का समय ठीक दर्ज करता है।

स.नि.15.05(2) आँधी और भारी वर्षा में गैंग मेटों और गैंगमैनों द्वारा लाइन पर गश्त लगाना:– वर्ष की किसी भी अवधि में जब अचानक आँधी या भारी वर्षा आने लगे तो मेट और आवश्यक संख्या में उसके आदमी लाइन पर, विशेष रूप से कमजोर स्थलों पर, पानी रोकने वाले ऊँचे बांधों, ऐसे पुलों जिनके नीचे पानी का असाधारण बहाव हो और कटावों के किनारों पर दिन और रात गश्त लगाएंगे। सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी गश्त लगाई जा रही है। अधिक उतार–चढ़ाव या सुरंगों वाले सेक्शनों पर गश्त संबंधी विशेष निर्देश घाट नियमों में दिए गये हैं।

स.नि.15.05(3) विशेष अनुदेशों में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य ट्रैक इंजीनियर द्वारा जारी किए गए "मानसून अनुदेशों" में दिए गए अनुदेश भी शामिल हैं।

09/09/25

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः–

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.वि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।